निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून

(शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, पो0 डालनवाला, देहरादून)
दूरभाष न0–0135–2672919 / फैक्स न0–0135–2672920

जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020–21 में इंजीनियरिंग / मेडिकल / ए0डी0ए0 / बैंकिग / एस0एस0सी / समूह–'ग' की परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोंचिग केन्द्रों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 20 दिवस के भीतर निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में आमत्रित किये जाते है। यह कोचिंग इंजीनियरिंग एवं मेडिकल हेतु न्यूनतम 01 वर्ष की होगी तथा बैंकिग / ए0डी0ए0 / एस0एस0सी / समूह–'ग' हेतु 06 माह की होगी। यदि कोचिग अवधि इससे कम होती है तो उसी अनुपातिक रूप में कोंचिग शुल्क की धनराशि कम होगी। योजना के सम्बन्ध में जानकारी हेतु प्री–बिड की बैठक आहूत किये जाने सम्बन्धी सूचना पृथक से निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित की जायेगी।

वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित पात्रता एवं शर्तेः–

1– चयनित कोंचिग संस्थाए, जिनमें चयनित छात्र–छात्राओं द्वारा कोचिंग लिए जाने की सहमति दी जायेगी, उन कोचिंग केन्द्रों हेतु में कोचिंग हेतु चयनित छात्र / छात्राओं की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से निर्धारित समय में दिन में दो बार (कोचिंग आने व जाने के समय) ली जानी अनिवार्य होगी।

2– ऐसी कोचिंग संस्थाए, जो विगत 05 वर्षो या अधिक समय से इंगित प्रतियोगी परीक्षा की कोंचिग दे रही हो, की वरीयता प्रदान की जाती है।

3– उस कोचिंग संस्था को वरीयता दी जायेगी, जिनमें छात्रों का सफलता दर 15 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।

4– ऐसी कोंचिग संस्थाये जिनके पास कोंचिग हेतु निजी अथवा किराये का भवन हो, जिससे विगत 03 साल के कोंचिग संचालित हो। विशेष परिस्थितियों में इसको 01 साल किया जा सकता है।

5– संस्था के पास कम से कम 03 ऐसे कक्ष होने अनिवार्य होंगे, जिनमें आवश्यक आधारभूत सुविधायें जैसे ब्लैकबोर्ड, लाइब्रेरी, फर्नीचर (जिनमें मेज एवं कुर्सी आवश्यक हो) और पृथक से एक कार्यालय कक्ष एवं एक काउंसलिंग / आगन्तुक कक्ष होना अनिवार्य है, साथ ही 02 शौचालय होने अनिवार्य है।

6– ऐसी प्रतिष्ठित कोंचिग संस्थायें जिनके पास ओडियो विल्यूल, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, फोटो कापी, फैक्स स्वयं के क्रय किये होंगें, उनको वरियता दी जाएगी।

7– कोंचिग संस्थायें वर्षवार सफल छात्रों का विवरण देगें, जिनमें सफल छात्रों का आधार नम्बर देना अनिवार्य होगा।

8– कोचिग संस्थाओं के पास पर्याप्त संख्या में नियमित / पार्ट टाइम फैकल्टी होना आवश्यक है, जिन्हे सम्बन्धित कोर्सो की कोंचिग प्रदान करने हेतु अनुभव न्यूनतम 05 वर्ष का होना अनिवार्य होगा।

9– संस्था द्वारा भवन, शौचालय, संचालित कक्षाओं तथा समस्त कमरो के फोटोग्राफ, जिनमें सारी सुविधाए स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10– विभागार्न्तगत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, देहरादून में मेडिकल / इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु पृथक से आवेदन करना होगा।

वित्तीय सहायताः– प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति के द्वारा प्रतिष्ठित कोंचिग संस्थानों से प्राप्त वित्तीय दरों के तुलनात्मक विश्लेषण एव Negotiation के उपरान्त किया जायेगा। चयन होने पर शुल्क का भुगतान दो किश्तों मे किया जायेगा। प्रथम किश्त का भुगतान संस्थान द्वारा प्रशिक्षण हेतु छात्रों के चयन एवं उनके नामों की सूची निदेशालय को प्रस्तुत करने के साथ–साथ इन्टरनेंट पर प्रसारित करने के उपरान्त किया जायेगा। द्वितीय किश्त कोर्स समाप्त होने पर सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित कोचिंग संस्थान को भुगतान कर दिया जायेगा।

अन्य विवरणः– इस योजना के लिये सम्पूर्ण सूचना एवं निर्धारित आवेदन पत्र हेतु विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाइट पर एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड एवं निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून से भी प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(योगेन्द्र रावत)
अपर निदेशक
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड